न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–।।, गाजीपुर

दण्डवाद सं0 12/2010 एवं 13/2010

राज्य – प्रति – सूरज खरवार एवं राकेश खरवार

दिनांक :15.12.2021 **पी.डब्ल्यू–01**

मैं, **हरि प्रकाश विश्वकर्मा पुत्र स्व0 बालेश्वर**, पूर्व उ0नि0 उम्र लगभग 67 वर्ष, हाल पता ग्राम बनकटा थाना गोला, जिला–गोरखपुर, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि दिनांक 20.12.2009 को मैं, चौकी प्रभारी मटेहूं थाना मरदह में तैनात था। अपराध सं0 1736/09 और 1737/09 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट की विवेचना एस.आई. सुभाष चन्द उपाध्याय को मिली थी। तद्पश्चात विवेचना मुझे मिली। मैंने विवेचना प्रारम्भ की। दिनांक 21.012.2009 को पर्चा नं0 1 किता किया जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान लेखक मुकदमा, बयान अभियुक्त सूरज खरवार व बयान अभियुक्त खरवार अंकित किया।

दिनांक 22.12.2009 को बयान वादी श्री राम सिंह एस.ओ. महोदय, बयान एस.आई. श्री राजेश कुमार मिश्र, बयान कांस्टेबल इन्द्रजीत सिंह, बयान कांस्टेबल विन्ध्याचल सिंह, बयान कांस्टेबल राजेश पटेल, बयान कांस्टेबल राजेश कुमार अंकित कर गवाह श्री राजेश कुमार मिश्र के निशान देही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा मेरे द्वारा नक्शा नजरी तैयार किया गया। वह शामिल पत्रावली कागज सं0 6अ को देखकर गवाह ने अपने लेख व हस्ताक्षर का तस्दीक किया जिस पर प्रदर्श क1 डाला गया।

दिनांक 06.01.2010 को नमूना माल प्राप्ति रसीद सं0 48/10 व 49/10 के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रामनगर, वाराणसी भेजा गया। इस मुकदमें की विवेचना मुझसे स्थानांतरण होकर एस.आई. उमाशंकर शास्त्री को मिली थी। जिनके द्वारा विवेचना से अभियुक्तगण सूरज खरवार व राकेश खरवार के विरूद्ध धारा 8/20 एन. डी.पी.एस. एक्ट का आरोप विवेचना से प्रमाणित होने पर उनके विरूद्ध आरोप पत्र सं0 14/10 व 15/10 दिनांक 14.02.2010 को प्रेषित किया गया। व एस.आई. उमाशंकर शास्त्री मेरे साथ काम किये हैं। मैं उनके हस्त लेख को पहचानता हूँ। वह शामिल पत्रावली कागज सं0 3अ को देखकर गवाह ने उनके हस्ताक्षर का तस्दीक किया। व राकेश खरवार की पत्रावली पर आरोप पत्र शामिल पत्रावली कागज सं0 3अ पर बने उनके हस्ताक्षर का तस्दीक किया। जिस पर क्रमशः प्रदर्श क2 व क3 डाला गया।

<u>प्रतिपरीक्षा अभियुक्त सूरज खरवार एवं राकेश खरवार की ओर से</u> X X X X

आरोप पत्र मेरे द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। इस मुकदमें की विवेचना का प्रारम्भ मेरे द्वारा ही किया गया है। वादी मुकदमा का बयान मेरे द्वारा ही दर्ज किया गया था।

मैं घटना स्थल पर गवाह फर्द एस.आई. राजेश कुमार मिश्र के साथ गया था और उन्हीं के निशान देही पर नक्शा नजरी तैयार किया था। वादी मुकदमा एस.ओ. श्रीराम सिंह ने अभियुक्त सूरज खरवार के कब्जे से फर्द बरामदगी की तस्दीक करते हुए नाजायज गांजा बरामद होना बताया था।

घटना चूंकि शाम 06:30 बजे ही हैं। घटना स्थल सुनसान स्थान पर था। मुझे इस समय याद नहीं है कि घटना स्थल के आस–पास कोई दुकान या मकान मौजूद थी। फर्द बरामदगी के गवाहों के अतिरिक्त मैंने दो गवाहों का बयान अंकित किया है। फर्द बरामदगी के सभी गवाहों का भी बयान मैंने अंकित किया था। अभियुक्त के कब्जे से बरामद शुदा नमूना गांजा परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के रिपोर्ट की मुझे जानकारी नहीं है। गवाहों के बयान अंकन के उपरांत मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचता इससे पूर्व ही मेरा स्थानांतरण हो गया था। जो गांजा मुकदमें के बरामद हुआ वह मेरे सामने न्यायालय में उपलब्ध नहीं है।

फर्द में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि वादी व गवाह फर्दों ने अपनी जामा तलाशी आपस में ली है। फर्द बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उक्त फर्द बरामदगी में तराजू और बाट कहां से आया है उसका उल्लेख नहीं है।

सुनकर तस्दीक किया

बयान मेरे बोलने पर टाईप किया गया।